वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्त्री शिक्षा

*मुकेश कुमार मालवीय

शोधपत्र-विधि

बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती होय,
बेटा तारे एक कुल, बेटी तारे दोय।।

षैक्षिक अवसरों की समानता की बात करते समय हमने देखा है कि अनेक सन्दर्भ में असमानता पायी जाती है। एक आवष्यक सन्दर्भ है स्त्री षिक्षा का। बालिका को हम समाज में वह दर्जा नहीं दे पाते हैं जो बालक को देते है। कविवर पन्त ने नारी के रूपों का वर्णन करते हुये कहा है– 'देवि, माँ सहचरि प्राण' स्वामी विवेकानन्द ने स्त्रियों के बारे में अपना विचार दिया है कि– 'स्त्रियों को सदैव असहायता और दूसरों पर वासवत् निर्भरता की षिक्षा दी गयी है।'' यह षिक्षा देकर ही पुरूष युगों से नारी पर षासन करता आ रहा है। अप्रैल 2008 के प्रथम सप्ताह में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए लंदन स्कूल ऑफ ओरियंटल एण्ड अफ्रीका स्टडीज की विधि प्रोफेसर फरीदा बांदा द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी 185 सदस्य देषों ने पुरूषों का समर्थन करने वाले कानूनों को 2005 तक निश्प्रभावी करने की बात कही थी। रिपोर्ट के अनुसार विष्व में वर्तमान में कुल गरीबो में अकेले महिलाओं की संया 70 प्रतिषत है। इसी प्रकार विष्व की कुल मालिकाना हक वाली जमीन में भी महिलाओं का हिस्सा मात्र 1 प्रतिषत है।

स्त्री शिक्षा का महत्व – प्रजातंत्र में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से स्त्री षिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। स्त्री को पुरूष के समान कर्तव्य निर्वाह तथा अधिकारों का उपयोग करने के अवसरों तथा सुविधाओं की प्राप्ति बहुत आवष्यक है। यदि स्त्री पुरूषों के समान योग्य और षिक्षित हो तो वह अपने मतदान का सदुपयोग कर सकती है। और राष्ट्र की, समाज की,, परिवार की और व्यक्तिगत समस्याओं पर चिन्तन करके उनके हल प्रस्तुत कर सकती है। स्वतंत्रता का उपयोग तभी उत्तम होता है, जब राष्ट्र की सरकार व्यक्ति के हितों की सुरक्षा करने और व्यक्ति के विकास करने में योग्य होती हैं। राष्ट्रीय सरकार का निर्माण जनमत के हाथ में होता हैं। यदि जनमत अषिक्षित होता है तो वह विभिन्न कुरीतियों एवं बुराइयों में बहकर मतदान में उपयुक्त निर्णय नहीं ले पाती है और अनुपयुक्त व्यक्ति को षासन कार्य के संचालन के लिये भेज दिया जाता है। यह बात स्त्री षिक्षा के प्रसार के अभाव में स्त्री वर्ग पर बहुत घटित होती है। इसलिये यह आवष्यकता अनुभव होती है कि स्त्री षिक्षा का समुचित प्रसार किया जाये।

समाजिक क्षेत्र में स्त्री जाति सामाजिक सुधार की आध ाारषिला होती हैं। वह परिवार का सष्जन एवं निर्माण करने वाली होती है। सबसे पहले नागरिकता की षिक्षा उसी के संरक्षण में मिलती हैं। यदि स्त्री षिक्षित नहीं है तो वह परिवार में रहकर नागरिकता का प्रसार करने का उत्तरदायित्व न्यायपूर्वक नही निभा सकती। इसलिए स्त्री षिक्षा की आवष्यकता एवं महत्व अनुभव किया जाता हैं। स्त्री देष की संस्कृति, धर्म, साहित्य, कला एवं ज्ञान विज्ञान का स्तंभ होती है उसे षिक्षित बनाकर उनकी सष्जनात्मकता क्रियाषीलताओं को प्रबुद्ध, शुद्ध और समुन्नत बनाया जा सकता है। एक षिक्षित माता षिक्षा का मूल्य समझती हैं और माँ के रूप में वह जानती है कि वह अपने बालकों को प्रवष्त्ति, रूचि, क्षमता, आवष्यकता के अनुरूप कैसे षिक्षा दें और किस प्रकार मार्गदर्षन करें। षिक्षित स्त्री पुरूष से किसी भी कार्य क्षेत्र में पीछे नहीं रहती है। कुछ क्षेत्रों में तो वह पुरूष से भी अधिक कुषल सिद्ध हुई है। चिकित्सा षिक्षणऔर परिचर्या के क्षेत्र में स्त्री की तुलना पुरूष कभी भी नही कर सकता। यदि स्त्री को समुचित मार्गदर्षन और षिक्षा दी जाये तो विभिन्न क्षेत्रों में कुषल बनाकर अपया योगदान दे सकती है।

अतः स्त्री षिक्षा का विकास करते हुये उसके लिये उपयोगी सुविधाएँ जुटाने का प्रयास करना उत्तर होगा। तभी राष्ट्र की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, व्यवसायिक,सांस्कृतिक और षैक्षिक उन्नति हो सकती है।

ऐतिहासिक प□भठभूमि

प्राचीन युग– वैदिक काल में स्त्रियों को षिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था वैदिक काल में नारी षिक्षा अपने चरम

* अतिथि विद्वान विधि शास. नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

उत्कर्ष पर थी। नारियों को पुरूषों के समान स्वतंत्रता प्राप्त थी। ब्रम्हचर्य व्रत से सम्पन्न षिक्षित कन्या को ही गष्हस्थ आश्रम में प्रवेष करने का अधिकार प्राप्त था। नारियों को पुरूषों के समान षिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। किन्तु उनके लिये पष्थक षिक्षालयों की व्यवस्था नहीं थी। हॉ, सहषिक्षा का प्रचलन अवष्य था। वैदिक काल में अन्तिम चरण में लगभग 200 ई. पूर्व से बालिकाओं की विवाह की आयु को कम करके उनकी षिक्षा प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया गया परन्तु गौतम बुद्ध ने संघ में बालिकाओं को प्रवेष की आज्ञा देकर उनकी षिक्षा को नवजीवन प्रदान किया। बौद्ध काल में नारी को पुनः कुछ गौरव मिला परन्तु वह अपनी प्रतिशठा हासिल न कर सकी। मध्यकाल तक आते—आते स्त्रियों की दषा बदतर होती गयी।

मध्य युग— मुस्लिम काल में स्त्रियों की षिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। मुलसमानों में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण अधिकांष महिलाऐं षिक्षा से वंचित रहती थी। स्त्री षिक्षा की जो व्यवस्था थी वह केवल षाही घरानों एवं कुलीन वर्गों की कन्याओं तथा कुछ मध्यम वर्ग की मुस्लिम वर्ग की बालिकाओं के लिये थी। जन साधारण की बालिकाऐं प्रारम्भिक अवस्था में बालकों के साथ केवल थोड़ा सा अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। इसके अतिरिक्त बालिका षिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों में ही थी। मुगलों के आक्रमण के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई। विदेषी आक्रान्ताओं की पाषविक प्रवृत्तियों के भय से स्त्रियों ने पठन—पाठन बन्द कर दिया। बाल विवाह, अनमोल विवाह, सती प्रथा आदि की जंजीरों से बांधकर उसे निरीह पषु बना दिया गया। नर और नारी के कार्य क्षेत्र में विभाजन रेखा खींच दी गयी।

ब्रिटीश युग— भारत वर्ष में अंग्रजी के आगमन के साथ युग ने करवट बदली। स्वामी दयानन्द, राजाराम मोहनराय आदि समाज सुधारकों ने सामाजिक कुरीतियों एवं अन्ध विष्वासों का खण्डन करने के उद्देष्य से ब्रम्ह समाज और आर्य समाज की स्थापना की तथा समाज में नारी को सम्मान दिलाने की दिषा में सराहनीय योगदान दिया। नारी को नर की समकक्षता का अधिकार मिला। हण्टर आयोग (1982) ने नारी षिक्षक को अधिक प्रगतिषील बनाने के लिये आवष्यक सुविधाएं जुटाने की बात कहीं। लड़कियों के लिये कन्या नार्मल स्कूल खोलने , उनकी संख्या बढ़ाने, पाठ्यक्रम को सरल और उपयोगी बनाने पर बल देकर आयोग ने स्त्री षिक्षा के लिये निरीक्षिकाओ ंकी नियुक्तियाँ करने का सुझाव दिया। सन् 1892 तक 5628 प्राथमिक विद्यालय हो गये जिनमें 4,47,470 छात्राओं के लिये षिक्षा व्यवस्था हो चुकी थी। हर्टाग समिति 1927 ने बालिका षिक्षा सम्बन्धी विविध संस्तुतियॉ प्रस्तुत की।

स्वतंत्रता के पश्चात् —स्वतंत्रता के पष्चात स्त्री षिक्षा का जो विकास हुआ है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बालिका की ओर हमारा दृष्टिकोंण ही बदल गया। स्त्रियों को पुरूषों के समान स्तर पर लाने के लिये आवष्यक सामाजिक आर्थिक और कानूनी परिवर्तन किये गये और एक नये युग का षुभारम्भ हुआ। भारत का संविधान पुरूष और नारी दोनों के लिये समान अधिकार देता है। कुछ विषेष विधान में स्त्रियों के लिये सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन किये और एक नये युग का षुभारम्भ हुआ। भारत का संविधान पुरूष और नारी दोनों के लिये समान अधिकार देता है।

सरकार ने नारी उत्थान के लिये श्रीमती जयन्ती पटनायक की अध्यक्षता में नेषनल कमीषन ऑफ वीमेन की स्थापना की।

भारतीय संविधान में भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया—''राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा।

राधा कृशणन समिति (1948—49) ने स्त्री षिक्षा पर बल देते हुये कहा कि— ''षिक्षित स्त्रियों के बिना षिक्षित स्त्रियों के बिना षिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते।'' स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात् राष्ट्रीय सरकार ने नारी षिक्षा के प्रसार के लिये अधिक उत्साह का प्रदर्षन किया। सरकार द्वारा स्त्री षिक्षा के लिये प्रभावषाली कदम उठाये गये। योजना आयोग द्वारा प्रथम पंचवर्शीय योजना एवं द्वितीय पंचवर्शीय योजना में स्त्रियों की षिक्षा पर विषेष ध्यान दिया गया। महिला षिक्षा पर विषेष ध्यान देने के लिये 1958 में दुर्गाबाई देषमुख की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। जिसे दुर्गा देषमुख समिति के नाम से जाना जाता हैं। इस समिति का मुख्य उद्देष्य स्त्री षिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिये सुझाव देना था।

बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्र नीति 1986 मे निम्न उपाय सुझाये गये— 1. बलिकाओं की षिक्षा के लिए परिवेष का निर्माण करना। 2. औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की षिक्षा के लिये सुविधाएँ बढ़ाना। 3. वर्तमान कार्यक्रम का विस्तार एवं अनेक सहायता कार्यक्रम को प्रारम्भ किया जाये। जिससे बालिकाओं का स्तर बढ़ाया जा सके। 4. आवष्यकताओ की पूर्ति के लिये अनुपूरक पाठ्यक्रम तैयार करना। 5. निरक्षर स्त्रियों के लिये युद्ध स्तर पर कार्य करके निरक्षरता दूर करने के उपाय किये जाये। जिसमें स्वयं सेवी संगठन तथा सम्पूर्ण मानव षक्ति का सहयोग लिया जाये।

राष्ट्रीय समिति का गठन —षिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महिलाओं की षिक्षा हेतु राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। भारतीय महिलाओं की षैक्षिक स्तर सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट 18 मई 1975 को राज्य सभा में रखी गई। इस बहस में भाग लेते हुये तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने कहा—

''किसी भी समाज का स्तर वहां की महिलाओं के स्तर से आंका जा सकता है। महिलाएँ आज भी पुरूष प्रधान समाज में रह रही है। चाहे वह षिक्षा का क्षेत्र हो अथवा समाज में रहने की बात हो। महिलाओं का निम्न स्तर अथवा उन्हे विकास की कम सुविधाएँ उपलब्ध कराना समाज को विकलांग बना देता है।''

राष्ट्रीय महिला आयोग—महिला षिक्षा में विकास हेतु सन् 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया। इसमे एक अध्यक्ष, एक सचिव एव पांच पूर्ण कालिक सदस्य हैं। यह आयोग 31 जनवरी 1992 में प्रभावी हुआ। आयोग ने 7—8 अक्टूबर 1992 को 'महिलाओं से बलात्कार' विशय पर एक संगोश्ठी आयोजित की गयी थी। जिसमें घृणित अपराध की घटनाओं की रोकथाम के उपायों पर विचार किया गया था। मार्च 1993 में इलेक्ट्रॅनिक मीडिया के लिये महिला परिप्रेक्ष्य में गोश्ठी हुयी जिससे समाज पत्रों व मुद्रित सामग्री के बारे में जागरूकता पैदा की गयी। स्वतंत्रतता के पष्चात् प्रौढ़ षिक्षा का नाम समाज षिक्षा रख दिया गया। इसका उद्देष्य साक्षर बनाना ही नहीं वरन नागरिकताओं में इनमे लगातार वृद्धि हुई फिर भी अपने देष में प्राथमिक षिक्षा जिस दुर्दषा को प्राप्त हैं वह बहुत चिन्ताजनक है।

स्त्री शिक्षा में सुधार हेतु उपाय— स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। के. नटराजन के अनुसार – ''यदि 100 वर्ष पूर्व मरने वाला व्यक्ति आज फिर जीवित हो जाये तो उसे आष्चर्य चकित करने वाला सर्वप्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा।''स्त्रियों की स्थिति में इस क्रांतिकारी परिवर्तन के बावजूद अत्याचारी एवं अप्रगतिषील विचारों वाला पुरूष वर्ग, नारी की महत्ता को स्वीकार नहीं करता है। किन्तु सरकार और प्रगतिषील विचारों वाला पुरूष वर्ग नारी के साथ है। सरकार ने संविधान के माध्यम से स्त्रियों की समस्त अर्हताओं का अन्त कर ही दिया है। प्रगतिषील विचारों वाला पुरूष वर्ग राष्ट्रीय जीवन में स्त्री षिक्षा के महत्व को स्वीकार करके उसके तीव्र प्रसार का प्रबल समर्थक है। यही कारण है कि स्वतन्त्र भारत में समस्त क्रान्तिकारियों के मध्य शताब्दियों से षोषित नारी ने एक जबर्दस्त अंगड़ाई ली है। वह षिक्षा के समान अवसरों का उपयोग करके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में सक्रिय है और पुरूष को चकित कर रही हैं फिर भी स्त्री षिक्षा की गति सोचनीय हैं। कुछ सार्थक प्रयास किये जा सकते है। जैसे—

1. रूढ़िवादिता एवं धर्मान्धता जन जागरण, जागरूकता अभियान करके समाप्त किया जाना चाहिए। 2. अपव्यय एवं अवरोधन के कारण पर विचार करके सार्थक पहल करना चाहिए। 3. विभिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। 4. प्रषासन द्वारा सुधार लाते हुए इसमें स्त्रियों को विषेष ध्यान देना चाहिए। 5. सरकार द्वारा बालिकाओं की षिक्षा पर विषेष ध्यान देना चाहिए। 6. आवष्यकतानुसार पूर्ण अध्यापिकाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। 7. स्त्री प्रषिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। 8. अध्यापिकाओं को वेतनमान में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। 9. अध्यापिकाओं के लिये अल्पकालीन रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। 10. स्थानीय षिक्षित महिलाओं को अध्यापन कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। 11. षिक्षण व्यवसाय में पर्दापण करने की इच्छा रखनी वाली अधिक आयु की महिलाओं को आयु सीमा से मुक्ति देना चाहिए। 12. वयस्क महिलाओं को अधिक षिक्षित बनाने हेतु प्रषिक्षित करने के लिए संक्षिप्त पत्राचार पाठ्यक्रमों की सुविधाओं में विस्तार होना चाहिए। 13. कम षिक्षित एवं अप्रषिक्षित स्त्रियों की नियुक्ति और उनको अपनी षैक्षिक योग्यताओं की वृद्धि करने में एवं प्रषिक्षण प्राप्त करने में सहायता देनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. उदीयमान भारतीय समाज में षिक्षक, डॉ. राम सकल पाण्डेय 2. भारतीय षिक्षा और उसकी समस्याएँ, डॉ.पी.डी.पाठक 3. यूथ कॉम्पीटिषन टाइम्स, राजेषकुमार मिश्र 4. पॉण्डेय, डॉ जय नारायण, भारत का संविधान, 39 वां संस्करण 2006, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।